



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2011 / 1280
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3.2.12

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

2. सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

विषय:—शिक्षा का अधिकार अधिनियम:—प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के लिये
प्रधानाध्यापकों के पदों की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ:—म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क. एफ27-66/11/20-भोपाल,
दिनांक, 12.9.2011।

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों
के प्रकाश में प्रदेश में निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों के पद स्वीकृत किये हैं:—

प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला) — 6383

प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला) — 5547

2-उपरोक्त स्वीकृत पदों की जिलेवार संख्या संलग्न है।

3-नियमानुसार उक्त स्वीकृत पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रदोन्नति द्वारा दिनांक 31.3.2012 तक
किया जाना सुनिश्चित करें। समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाये।

संलग्न-1

(अरुण कोचर)

आयुक्त
लोक शिक्षण
भोपाल म.प्र.

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त
आदिवासी विकास
भोपाल म.प्र.।

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल म.प्र.

पृ.क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2012 / 1281
प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आदिमजाति कल्याण।

भोपाल, दिनांक 3.2.12

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल म.प्र.